संख्या– 188 / XXX(2) / 2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 13 मई, 2015

विषयः– **उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अन्तर्गत समूह 'ग' में भर्ती के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–20 वर्ष 2014) प्रख्यापित किया गया है जिसकी धारा–2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के समस्त सीधी भर्ती के पदों पर लागू होगी। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य निकाय के समूह 'ग' के पदों को भी आयोग की परिधि में रख सकती हैं अथवा हटा सकती है।

2– उपर्युक्त से स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के समस्त पदों को उक्त अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 71 / XXX(2) / 2012 दिनांक 07.05.2012 में समूह 'ग' के पदों को वर्गीकृत किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की ऊपर उल्लिखित धारा के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समस्त समूह 'ग' के पद उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आ गये हैं।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' के पदों पर अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत चयन की कार्यवाही हेतु अधियाचन कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित अधियाचन प्रारूप संख्या–1 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संबंधित पदों के चयन के संबंध में कार्यवाही की जा सकें।

क्रमश.....................2

4– आपसे यह अनुरोध है कि कृपया उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जाने वाले अधियाचन परिपत्र के साथ रिक्त पदों की सूचना, आरक्षण की गणना तथा संबंधित पदों की सेवा नियमावली भी सम्प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या– /XXX(2)/2015/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य निर्वाचन परिसर, लाडपुर रिंग रोड देहरादून, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव